न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली जिला–टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री मनोज कुमार मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः–440 / 2025 निर्णय दिनांक :–27.05.2025

उनवानी प्रार्थना पत्र :

किशनलाल पुत्र. रामदेवा जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी गैरोली तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
–प्रार्थी–

बनाम

तहसीलदार दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.) –अप्रार्थी–

उपस्थिति :–

श्री अनिल चौहान पेरोकार सरकार

श्री जोरावर सिंह

अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए.

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात कृषि भूमि हाल खाता संख्या 46 खसरा नम्बर 166 रकबा 0.52 है0, कुल किता 1 कुल रकबा 0.52 है0 वाके तनग्राम गैरोली पटवार हल्का गैरोली तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थी की उक्त भूमि से पहले पश्चिम दिशा की तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की भूमि खसरा नम्बर 2769 / 2242 गै.मु. सडक व अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 166 / 2242 वाके तनग्राम गैरोली में स्थित है। प्रार्थी अपने पूर्वजो के समय से ही मुख्य एन.एच. नं. 12 से होकर एन.एच.ए.आई. की भूमि खसरा नम्बर 2769 / 2242 गै. मु. सड़क एवं अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 166 / 2242 में बने हुए कदमी रास्ते से होकर अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 166 में आता–जाता है तथा काश्तकारी कर उपयोग–उपभोग करता है। वर्तमान में आराजी खसरा नम्बर भूमि खसरा नम्बर 166 / 2242 में कई प्रभावशाली व्यक्तियो के द्वारा अवैध रूप से कब्जा प्रार्थी के कदमी रास्ते को बंद कर दिया। जिससे प्रार्थी अपनी ही खातेदारी की भूमि में आने–जाने एवं काश्तकारी करने में परेशानियां उत्पन्न हो गई है। प्रार्थी के पास विधिवत् रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थी अपनी भूमि पर आ–जा नहीं पा रहा हैं। इस कारण प्रार्थी को अपनी उक्त वर्णित खातेदारी की भूमि में आने–जाने एवं काश्तकारी करने हेतु 30 फिट चौड़ा रास्ता दिलवाया जाना आवश्यक है। प्रार्थी की

27.5.25

उक्त वर्णित भूमि न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होन के कारण उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थी विधिवत् रास्ते हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने हेतु तैयार है। तहसीलदार दूनी लेण्ड हॉल्डर होने के कारण प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया हैं। अतः प्रार्थना पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 166 तनग्राम गैरोली तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित भूमि में आने–जाने एवं काश्तकारी करने ,एवं कृषि संसाधनो को लाने ले जाने हेतु एन.एच.ए.आई. की भूमि खसरा नम्बर 2769/2242 गै.मु.सड़क एवं अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 166/2242 में बने हुए कदमी रास्ते से लगभग 30 फिट चौड़ा रास्ता नियमानुसार रास्ता दिलवाने के आदेश फ़रमावे तथा राजस्व रिकार्ड में रास्ते का इन्द्राज किये जाने की आज्ञा फरमावे ।

अप्रार्थी तहसीलदार की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी तहसीलदार दूनी द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की गई जो इस प्रकार हैः– प्रार्थी की आराजी पर पंहुचने के लिये राजस्व रिकार्ड में अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकंता आत्यंतिक है। प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते के अलावा अन्य कोई लघुत्तम दूरी का रास्ता नहीं है। प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता रिकार्डेड रास्ते एनएच–52 (जयपुर कोटा रोड) के लगवा स्थित है। आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते की चौडाई 9.14 मीटर वं लम्बाई 8.78 मीटर यानि 80.24 वर्गमीटर प्रस्तावित है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि ग्राम गैरोली की डीएलसी दर 73,34,000/– रूपये प्रति हैक्टेयर है तथा डीएलसी दर से दुगुनी प्रतिकर राशि 1,17,710/– रू0 भुगतान योग्य है। आराजी आवेदक के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी आराजी ख0न0 166/2242 किस्म बा 1 वाके ग्राम गैरोली से होकर रास्ता चाहता है, जिसे नक्शा ट्रेस मे लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। जमाबन्दी की प्रति सलंग्न है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य एक देशी बबूल का पेड़ है। प्रस्तावित रास्ता ख0न0 166/2242 किस्म बा0 1 है । प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। अतः मौका रिपोर्ट, मूल ट्रेस नक्शा, जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतियां, सलंग्न कर नियमानुसार कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई। 27.5.25

Scanned with OKEN Scanner

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थनापत्र के तथ्यो को दोहराते हुए तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जावे तो कोई आपति नहीं है। प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

तहसीलदार दूनी ने जवाब/रिपोर्ट को ही बहस, मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट में प्रार्थी की आराजी ख. नं. 166 रकबा 0.52 है0 वाके तन ग्राम गेरोली दूनी में पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि राजकीय भूमि सिवायचक है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायोचित प्रतीत होने से स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार दूनी को आदेशित किया जाता है कि तहसीलदार दूनी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 27.01.2025 में संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार ग्राम गेरोली के खसरा नम्बर 166 रकबा 0.52 है0, कुल किता 1 कुल रकबा 0.52 है0 वाके तनग्राम गैरोली पटवार हल्का गैरोली तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में से कृषि कार्य हेतु पहुंच मार्ग हेतु ख. नं. 166/2242 रकबा 0.20 है0 में से 9.14 मीटर चौड़ाई व 8.78 मीटर लम्बाई कुल क्षैत्रफल 80.24 वर्ग मीटर के लिए डी. एल. सी दर 73,34,000/ रूपये प्रति है0 के अनुसार क्षैत्रफल 80.24 वर्गमीटर के लिएदुगनी प्रतिकर राशि 1,17,710/—रूपये जमाकर अथवा पुनः वर्तमान में प्रचलित डीएलसी की दुगनी दर से गणना कर दुगनी प्रतिकर राशि जमा राजकोष कर, राजस्व रिकॉर्ड में गै. मु. रास्ता के रूप में अमल दरामद कर, पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित करे तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हुए रास्ते के मध्य मे आये वृक्ष के सम्बन्ध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानो अनुसार कार्यवाही करे एवं प्राप्त राजस्व को राजकोष में निर्धारित मद में जमा करावें। पत्रावली नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 27.05.2025 को सुनाया गया.।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

Scanned with OKEN Scanner